

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002**

No.F3( 21)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ 4/

Dated 5/8/20

**Notification No. 01/2020-State Tax (Rate)**

No. F.3 (21)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Finance (Rev-I) Department, No.01/2017-State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Part-IV of Delhi Gazette Extraordinary, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule II - 6%, S. No. 242 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule IV - 14%, for S. No. 228 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be substituted, namely: -

"228.	Any chapter	Lottery".
-------	-------------	-----------

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of March, 2020.

By order and in the name of the Lt. Governor  
of the Government of National Capital Territory of Delhi

(Sunil Sehgal)

Dy. Secretary- IV (Finance)

No.F3( 21)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ 4/

Dated: 5/8/20

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
3. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi

6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.



(Sunil Sehgal)  
Dy. Secretary- IV (Finance)

Note: - The principal notification No. 01/2017-State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Part-IV of Delhi Gazette Extraordinary, *vide* number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and last amended by Notification No. 27/2019-State Tax (Rate) dated the 16<sup>th</sup> July , 2020 published in the Delhi Gazette Extraordinary Part-IV, *vide* number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/27, dated the 16<sup>th</sup> July , 2020.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण, के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वित्त (राजस्व-I) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं0फा0 03(21)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/4/

दिनांक: 5/8/20

अधिसूचना संख्या 01/2020-राज्य कर (दर)

सं0फा0 03(21)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/ - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त (राजस्व-I) विभाग की अधिसूचना सं. 01/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II - 6% में, क्रम सं. 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(ख) अनुसूची IV - 14% में, क्रम सं. 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

सारणी

228	कोई भी अध्याय	लॉट्री
-----	---------------	--------

2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

  
(सुनील सहगल)

उप सचिव-IV (वित्त)

सं0फा0 03(21)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/4/

दिनांक: 5/8/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव (सामान्य प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र के भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

दिल्ली।

6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेब साईट।



( सुनील सहगल )  
उप सचिव-IV (वित्त)

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 01/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को फा.3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 27/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 16 जुलाई, 2020, जिसे सं. फा. 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/27, दिनांक 16 जुलाई, 2020 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।